अनवान करणवीर सिंह बनाम गुरतेज सिंह आदि
वाद मुकदमा नं. 168/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम, आई.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 168/2025

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. करणवीर सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. मान रजतप्रीत सिंह पुत्र श्री लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

......वादीगण

बनाम

1. गुरतेज सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. निर्मल सिंह पुत्र श्री गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. अमनवीर कौर पुत्री श्री निर्मल सिंह पत्नी श्री गुरसिमरन जीत सिंह संधू जाति जटसिख निवासी नजदीक वाटर वर्क्स, चक खड़क सिंह वाला उर्फ डूमवाली जिला बठिण्डा (पंजाब)।
4. लखविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
5. मान जशनप्रीत कौर पुत्री श्री लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
6. श्रीमती गुरमेल कौर पत्नी श्री गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
7. शाखा प्रबन्धक, केनरा बैंक, शाखा श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

........प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री गुरतेज सिंह — वादीगण
अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा — प्रतिवादी 1 ता 6
पैरोकार राज — प्रति.–8

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

—:: निर्णय ::—

दिनांक 10.11.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण गांव 9 एम एल लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के स्थाई निवासीगण है, वादीगण का रजिस्टर्ड पता वही है, जो कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित है तथा वादपत्र के शीर्षक में अंकित है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का दादा है व प्रतिवादीया संख्या 6 वादीगण की दादी है । प्रतिवादी संख्या 2 वादी संख्या 1 का पिता, प्रतिवादीया संख्या 3 वादी संख्या 1 की बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 4 वादी संख्या 2 का पिता, प्रतिवादीया संख्या 5 वादी संख्या 2 की बहिन है। वाके चक 9 एम एल पटवार हल्का लठावाली भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 16/1 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2071—2074) का मुरब्बा नम्बर 55 व 58 की कुल 2.418 हैक्टेयर नहरी मय गै०मु०रास्ता कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 गुरतेज सिंह के नाम से व इसी चक 9 एम एल पटवार हल्का लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 54/52 का मुरब्बा नम्बर 20 व 28 की कुल 5.693 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 2846/5693 हिस्सा यानि 2.846 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 निर्मल सिंह के नाम से व 2847/5693 हिस्सा यानि 2.847 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह के नाम से व इसी चक 9 एम एल पटवार हल्का लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 135/59 का मुरब्बा नम्बर 58 की कुल 0.173 हैक्टेयर नहरी मय गै०मु०रास्ता कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.0865 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 निर्मल सिंह के नाम से व चक 10 एम एल पटवार हल्का लठावाली भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 18/16 (मुताबिक जमाबन्दी सम्ब्त 2072—2075) का मुरब्बा नम्बर 38 की कुल 3.566 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 गुरतेज सिंह के नाम से व इसी चक 10 एम एल पटवार हल्का लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 24/23 का मुरब्बा नम्बर 6 की कुल 2.089 हैक्टेयर नहरी मय गै०मु०रास्ता कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 6 गुरमेल कौर के नाम से व इसी चक 10 एम एल पटवार हल्का लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 45/45 का मुरब्बा नम्बर 4, 38, 39, 40 व 43 की कुल 15.113 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 7.5565 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 निर्मल सिंह के नाम से व 1/2 हिस्सा यानि 7.5565 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 2 निर्मल सिंह के नाम से दर्ज भूमि व प्रतिवादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह के नाम से दर्ज भूमि अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्तशुदा है तथा पैतृक सम्पति है। उक्त सम्पति पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 का प्रतिवादी संख्या 2 नाम से दर्ज भूमि में हक व हिस्सा बनता है। इसी प्रकार वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 का प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज भूमि में हक व हिस्सा बनता है ।यह कि प्रतिवादी संख्या 02 निर्मल सिंह व प्रतिवादी संख्या 04 लखविन्द्र सिंह ने अपनी स्वेच्छा वा सहमति से उक्त भूमि का वादीगण संख्या 1 व 2 के साथ घरू मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादीगण संख्या 1 व 2 को निम्न प्रकार से भूमि प्राप्त हुई है:—

(1). करणवीर सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर खातेदार का हिस्सा:—

चक 10 एम एल पटवार हल्का लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 39 की 1.303 हैक्टेयर कृषि भूमि, मुरब्बा नम्बर 40 की 2.986 हैक्टेयर कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 43 की 1.537 हैक्टेयर कृषि भूमि, कुल 5.826 हैक्टेयर कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

2). मान रजतप्रीत सिंह पुत्र श्री लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर खातेदार का हिस्साः–
चक 9 एम एल पटवार हल्का लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 20 व 28 की 2.846 हैक्टेयर कृषि भूमि व चक 10 एम एल के मुरब्बा नम्बर 38 की 3.162 हैक्टेयर कृषि भूमि, कुल 6.008 हैक्टेयर कृषि भूमि।

उक्त घरूबंटवारानामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्सा में आई हुई भूमि पर काबिज चले आ रहे है तथा मौका पर काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण से कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, तुम्हारे हिस्सा की भूमि तुम्हारे नाम करवा देंगे तथा अन्य प्रतिवादीगण द्वारा भी वादीगण से घरूबंटवारानुसार सहमति से विभाजन कर के किलावाईज भूमि दर्ज करवाने का कहा हुआ है। इसी विश्वास पर वादीगण ने भारी मेहनत करके व काफी धन आदि खर्च करके अपने अपने हिस्सा के रकबा में सुधार कार्य करवाए हैं। वादीगण पढ़े लिखे व अग्रणी काश्तकारान हैं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहते हैं, मगर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज ना होने के कारण वादीगण सभी सुविधाओं से वंचित रहते हैं। कुछ दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि वह वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से किलावाईज अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 01.09.2025 को प्रतिवादीगण सहमति से बंटवारा करने से इन्कार कर दिया है। इसलिए वादीगण के पास माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। यही वाद कारण है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 8 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादीगण स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः–

(1) यह कि डिक्री घोषणात्मक एवं विभाजन पारित की जाकर चक 10 एम एल पटवार हल्का लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 39 की 1.303 हैक्टेयर कृषि भूमि, मुरब्बा नम्बर 40 की 2.986 हैक्टेयर कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 43 की 1.537 हैक्टेयर कृषि भूमि, कुल 5.826 हैक्टेयर कृषि भूमि का वादी संख्या 1 करणवीर सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त वर्णित भूमि वादी संख्या 1 के नाम से अमल दरामद की जावे।

(2). यह कि चक 9 एम एल पटवार हल्का लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 20 व 28 की 2.846 हैक्टेयर कृषि भूमि व चक 10 एम एल के मुरब्बा नम्बर 38 की 3.162 हैक्टेयर कृषि भूमि, कुल 6.008 हैक्टेयर कृषि भूमि का वादी संख्या 2 मान रजतप्रीत सिंह पुत्र श्री लखविन्द्र सिंह को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त वर्णित भूमि वादी संख्या 2 के नाम से अमल दरामद की जावे।

(3) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में अंकित तथ्यानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति से उक्त प्रकरण को राजीनामा अनुसार निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैंः–

1. यह कि वादी संख्या 1 करणवीर सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली व प्रतिवादी संख्या 2 निर्मल सिंह पुत्र श्री गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली को चक 10 एम एल पटवार हल्का लठांवाली तहसील व

Scanned with OKEN Scanner

जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 45/45 का मुरब्बा नम्बर 4 का किला नम्बर 4 ता 7 (प्रत्येक 0.253), 14 (0.253), 15(0.253) कुल 1.518 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व मुरबा नम्बर 39 का किला नम्बर 11/2 (0.126), 16/1 (0.228), 16/2 (0.025 है0 खाला), 17 ता 24 (प्रत्येक 0.253) 25/1(0.228), 25/2 (0.025 है0 खाला) कुल 2.656 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 40 का किला नम्बर 1 ता 4 (प्रत्येक 0.253) 5/1(0.114), 6(0.114), 7 ता 13 (प्रत्येक 0.253), 14 (0.177), 17 (0.025), 18 (0.177 है० उत्तरी हिस्सा), 19 (0.201 है० उत्तरी हिस्सा), 20 (0.201 है० उत्तरी हिस्सा) कुल 3.792 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 43 का किला नम्बर 1 ता 10(प्रत्येक 0.253), 13/2 (0.126), 14/2 (0.177), 15 (0.240) कुल 3.073 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 11.039 हैक्टेयर कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज करवाया जावे।

2. यह कि वादी संख्या 2 मान रजतप्रीत सिंह पुत्र श्री लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली को चक 9 एम एल पटवार हल्का लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 54/52 का मुरब्बा नम्बर 20 व 28 की कुल 5.693 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 2846/5693 हिस्सा यानि 2.846 हैक्टेयर कृषि भूमि (निर्मल सिंह के नाम वाली) व चक 10 एम एल पटवार हल्का लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 18/16 का मुरब्बा नम्बर 38 का किला नम्बर 9(0. 253), 10(0.228), 11 (0.228), 12 ता 14 (प्रत्येक 0.253), 20 (0.228), 21(0.228) कुल 1. 924 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 4.770 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा वादी संख्या 2 के नाम से दर्ज करवाया जावे।

3. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 गुरतेज सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली को चक 10 एम एल पटवार हल्का लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 45/45 का मुरब्बा नम्बर 4 का किला नम्बर 13/2 (0. 126), 16 ता 18(प्रत्येक 0.253), 23/1(0.227), 23/2 (0.026 है0 खाला), 24/1(0. 228), 24/2 (0.025 है0 खाला), 25/1(0.227), 25/2 (0.025 है0 खाला) कुल 1.643 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज करवाया जावे।

4. यह कि प्रतिवादी संख्या 2 निर्मल सिंह पुत्र श्री गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली को चक 9 एम एल पटवार हल्का लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 16/1 का मुरब्बा नम्बर 55 का किला नम्बर 22/3 (0.028), 23/1 (0.237) कुल 0.265 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 58 का किला नम्बर 4/1 (0.082), 4/6(0.026 है० गै० मु० रास्ता), 5/2 (0.016 है0 गै० मु० रास्ता), 5/3 (0.186) कुल 0.310 हैक्टेयर नहरी मय गै० मु० रास्ता कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 0.575 हैक्टेयर नहरी मय गै०मु०रास्ता कृषि भूमि व चक 10 एम एल पटवार हल्का लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 24/23 का मुरब्बा नम्बर 6 का किला नम्बर 19/2 (0.0345 है० पश्चिमी हिस्सा), 20/2 (0.152), 20/3 (0.013 है० गै० मु० रास्ता), 21/1 (0.237), 21/2 (0.016 है० गै० मु० रास्ता), 22 (0.0555 है० पश्चिमी हिस्सा) कुल 0.508 हैक्टेयर नहरी मय गैव मु० रास्ता कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 1.083 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज करवाया जावे।

5. यह कि प्रतिवादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली को चक 9 एम एल पटवार हल्का लठांवाली तहसील व जिला

Scanned with OKEN Scanner

श्रीगंगानगर का खाता संख्या 16/1 का मुरब्बा नम्बर 55 का किला नम्बर 11 ता 14(प्रत्येक 0.253), 15(0.228) कुल 1.240 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 58 का किला नम्बर 3/2 (0.090). 3/7(0.007 है० गै० मु० रास्ता), 8/2(0.107), 9/3 (0.046), 10 (0.253), 11/1(0.100) कुल 0.603 हैक्टेयर नहरी मय गै० मु० रास्ता कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 1.843 हैक्टेयर नहरी मय गै०मु०रास्ता कृषि भूमि व चक 9 एम एल पटवार हल्का लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 135/59 का मुरब्बा नम्बर 58 की कुल 0.173 हैक्टेयर नहरी मय गै० मु० रास्ता कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.0865 हैक्टेयर कृषि भूमि (निर्मल सिंह के नाम वाली) व चक 10 एम एल पटवार हल्का लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 45/45 का मुरब्बा नम्बर 40 का किला नम्बर 18 (0.051 है० दक्षिणी हिस्सा), 19(0.052 है० दक्षिणी हिस्सा), 20(0.052 है0 उत्तरी हिस्सा) कुल 0.155 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 2.0845 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज करवाया जावे।

6. यह कि वादी संख्या 2 मान रजतप्रीत सिंह पुत्र श्री लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली व प्रतिवादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली को चक 10 एम एल पटवार हल्का लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 45/45 का मुरब्बा नम्बर 38 का किला नम्बर 15 ता 19 (प्रत्येक 0.253), 22 ता 24 (प्रत्येक 0.253), 25 (0.252) कुल 2.276 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज करवाया जावे।

7. यह कि प्रतिवादीया संख्या 3 व 5 उक्त भूमि में से कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा स्वेच्छा से अपने हक व हिस्सा का परित्याग करती है। लिहाजा यह राजीनामा दोनों पक्षों ने अपनी रजामन्दी बिना किसी दबाव के तहरीर करवाया है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 चक 9 एम एल, पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 16/1, जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 चक 9 एम एल, पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 54/52, जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 चक 9 एम एल, पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 135/59, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 चक 10 एम एल, पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 18/16, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 चक 10 एम एल, पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 24/23, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 चक 10 एम एल, पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 45/45 पेश की गई। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात, जमाबन्दी साक्ष्यों के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512, आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71, एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178, आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार वारिसान का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो, पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

—:: आदेश ::—

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :—

1. वादी संख्या 1 करणवीर सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली व प्रतिवादी संख्या 2 निर्मल सिंह पुत्र श्री गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली को चक 10 एम एल पटवार हल्का लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 45/45 का मुरब्बा नम्बर 4 का किला नम्बर 4 ता 7 (प्रत्येक 0.253), 14 (0.253), 15(0.253) कुल 1.518 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व मुरबा नम्बर 39 का किला नम्बर 11/2 (0.126), 16/1 (0.228), 16/2 (0.025 है0 खाला), 17 ता 24 (प्रत्येक 0.253) 25/1(0.228), 25/2 (0.025 है0 खाला) कुल 2.656 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 40 का किला नम्बर 1 ता 4 (प्रत्येक 0.253) 5/1(0.114), 6(0.114), 7 ता 13(प्रत्येक 0.253), 14 (0.177), 17 (0.025), 18 (0.177 है० उत्तरी हिस्सा), 19 (0.201 है० उत्तरी हिस्सा), 20 (0.201 है० उत्तरी हिस्सा) कुल 3.792 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 43 का किला नम्बर 1 ता 10 (प्रत्येक 0.253), 13/2 (0.126), 14/2 (0.177), 15 (0.240) कुल 3.073 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 11.039 हैक्टेयर कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त रकबा वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

2. वादी संख्या 2 मान रजतप्रीत सिंह पुत्र श्री लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली को चक 9 एम एल पटवार हल्का लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 54/52 का मुरब्बा नम्बर 20 व 28 की कुल 5.693 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 2846/5693 हिस्सा यानि 2.846 हैक्टेयर कृषि भूमि (निर्मल सिंह के नाम वाली) व चक 10 एम एल पटवार हल्का लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 18/16 का मुरब्बा नम्बर 38 का किला नम्बर 9(0.253), 10(0.228), 11 (0.228), 12 ता 14 (प्रत्येक 0.253), 20 (0.228), 21(0.228) कुल 1.924 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 4.770 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त रकबा वादी संख्या 2 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

...अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

3. प्रतिवादी संख्या 1 गुरतेज सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली को चक 10 एम एल पटवार हल्का लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 45/45 का मुरब्बा नम्बर 4 का किला नम्बर 13/2 (0.126), 16 ता 18(प्रत्येक 0.253), 23/1(0.227), 23/2 (0.026 है0 खाला), 24/1(0.228), 24/2 (0.025 है0 खाला), 25/1(0.227), 25/2 (0.025 है0 खाला) कुल 1.643 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

4. प्रतिवादी संख्या 2 निर्मल सिंह पुत्र श्री गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली को चक 9 एम एल पटवार हल्का लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 16/1 का मुरब्बा नम्बर 55 का किला नम्बर 22/3 (0.028), 23/1(0.237) कुल 0.265 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 58 का किला नम्बर 4/1 (0.082), 4/6(0.026 है० गै० मु० रास्ता), 5/2 (0.016 है0 गै० मु० रास्ता), 5/3 (0.186) कुल 0.310 हैक्टेयर नहरी मय गै० मु० रास्ता कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 0.575 हैक्टेयर नहरी मय गै०मु०रास्ता कृषि भूमि व चक 10 एम एल पटवार हल्का लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 24/23 का मुरब्बा नम्बर 6 का किला नम्बर 19/2 (0.0345 है० पश्चिमी हिस्सा), 20/2 (0.152), 20/3 (0.013 है० गै० मु० रास्ता), 21/1 (0.237), 21/2 (0.016 है० गै० मु० रास्ता), 22 (0.0555 है० पश्चिमी हिस्सा) कुल 0.508 हैक्टेयर नहरी मय गैव मु० रास्ता कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 1.083 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त रकबा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

5. प्रतिवादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली को चक 9 एम एल पटवार हल्का लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 16/1 का मुरब्बा नम्बर 55 का किला नम्बर 11 ता 14(प्रत्येक 0.253), 15(0.228) कुल 1.240 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 58 का किला नम्बर 3/2 (0.090). 3/7(0.007 है० गै० मु० रास्ता), 8/2(0.107), 9/3 (0.046), 10 (0.253), 11/1(0.100) कुल 0.603 हैक्टेयर नहरी मय गै० मु० रास्ता कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 1.843 हैक्टेयर नहरी मय गै०मु०रास्ता कृषि भूमि व चक 9 एम एल पटवार हल्का लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 135/59 का मुरब्बा नम्बर 58 की कुल 0.173 हैक्टेयर नहरी मय गै० मु० रास्ता कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.0865 हैक्टेयर कृषि भूमि (निर्मल सिंह के नाम वाली) व चक 10 एम एल पटवार हल्का लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 45/45 का मुरब्बा नम्बर 40 का किला नम्बर 18 (0.051 है० दक्षिणी हिस्सा), 19(0.052 है० दक्षिणी हिस्सा), 20(0.052 है० उत्तरी हिस्सा) कुल 0.155 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 2.0845 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त रकबा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

6. वादी संख्या 2 मान रजतप्रीत सिंह पुत्र श्री लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली व प्रतिवादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरतेज सिंह जाति

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

अनवान करणवीर सिंह बनाम गुरतेज सिंह आदि
वाद मुकदमा नं. 168/2025

टसिख निवासी 9 एम एल लठावाली को चक 10 एम एल पटवार हल्का लठांवाली हसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 45/45 का मुरब्बा नम्बर 38 का केला नम्बर 15 ता 19 (प्रत्येक 0.253), 22 ता 24 (प्रत्येक 0.253), 25 (0.252) कुल 2.276 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त रकबा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

7. प्रतिवादीया संख्या 3 व 5 उक्त भूमि में से कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा स्वेच्छा से अपने हक व हिस्सा का परित्याग किया गया है।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के बैंक रहन मुक्त होने की दशा में नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10.11.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर